न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
235/2018 (RCMS 2018/00252)	23.10.2018	01.10.2019

अनवान

श्रीमती आशा पिता दौलतराम पत्नि रामगोपाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी कंथारिया तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकमा बरखेडा उदा तहसील श्यामगढ जिला मंदसौर (म0प्र0)

वादीया

बनाम

1. कमल पिता दौलतराम जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मीणों का कंथारिया तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. रामसिंह पिता दौलतराम जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मीणों का कंथारिया तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. देउ पत्नि भगवानलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. श्री सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट	वादीगण
	अधिवक्ता श्री राकेश पुरी	प्रतिवादी संख्या 1 से 2
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 4

–:: वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्तकारी अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भाई बहिन होकर स्वर्गीय दौलतराम पिता छोगा मीणा निवासी मीणों का कंथारिया के निवासी होकर संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पारिवारिक सजरा वादानुसार है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता दौलतराम पिता छोगा मीणा के मौजा मीणों का कंथारिया पटवार हल्का जालमपुरा की आराजीयात आराजी संख्या 474 रकबा 0.07 हैक्टर आराजी संख्या 577 रकबा 0.39 हैक्टर आराजी संख्या 624 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी संख्या 651 रकबा 1.21 हैक्टर आराजी संख्या 652 रकबा 0.27 हैक्टर आराजी संख्या 834 रकबा 0.55 हैक्टर आराजी संख्या 858/866 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 3.19 हैक्टर दर्ज रिकार्ड रही है। वाद वर्णित आराजीयात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व दादा स्वर्गीय छोगा जी के जीवनकाल से चली आ रही होकर छोगी जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्वर्गीय दौलतराम जी के नाम पर दर्ज रेकार्ड की गई। जो वर्तमान में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता दौलतराम के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। वादीया के पिता दौलतराम जी का स्वर्गवास हो चुका है व उक्त आराजीयात वर्तमान में भी वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता दौलतराम जी के नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही जबकि खातेदार दौलतराम पिता छोगा के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक मात्र वारिस होकर उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीया को धोखें में रखकर यह कहते हुए कि अपने पिता जी का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाना चाहते है यह कहते हुए वादया को धोखें में रखकर दिनांक 12.03.2015 को तहसील कार्यालय में बुलाया उस समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दस्तावेज लेखक से मिलकर परित्याग विलेख निष्पादित करवा रखा था जिस पर वादीया के हस्ताक्षकर करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जान पहचान के व्यक्तियों की गवाही अंकित करते हुए उक्त तथाकथित हक त्याग विलेख का पंजीयन करवा दिया जो वादी के हक व अधिकारों के मुकाबले में शून्य और निष्प्रभावी होकर वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है जिससे तथाकथित हक त्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 शून्य एवं निष्प्रभावी होकर वादीया सम्पूर्ण कृषि आराजीयात में 1/3 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से वादपत्र वादीया घोषणात्मक डिक्री पेश है। वादीया अपने पिता के जीवनकाल से उक्त कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 ने वादीया को धोखें में रखकर दिनांक 12.03.2015 को जो तथाकथित हक त्याग विलेख अपने पक्ष में निष्पादित करवा पंजीयन करवा लिया जो वादीया के हक व अधिकारों के मुकाबले में शून्य एवं निष्प्रभावी होकर वादीया विवादित पैतृक कृषि आराजीयात में अपना हक व हिस्सा घोषित करा उसी अनुसार सम्पूर्ण कृषि आराजीयात का बंटवाडा करवाये जाने का अधिकारिणी होने से वादपत्र वादीया बंटवाडा आराजीयात पेश है। विवादित कृषि आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पैतृक कृषि आराजीयात होकर अपने पिता व दादा के जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीया को धोखे में रखकर तथाकथित हक त्याग विलेख निष्पादित करवा लिया जिसकी आड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करा विवादित आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाया जाना आवश्यक हो जाने से वादपत्र वादी स्थाई निषेधाज्ञा पेश है। बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 26.09.2018 को प्रतिवादीगण को पंजीकृत नोटिस दिये जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण ने वादीया को अपना हक व हिस्सा दिये जाने से इंकार कर दिये जाने से वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। जिससे वादपत्र वादीया अंदर मियाद पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावें कि वादपत्र पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र में वर्णित मौजा मीणों का कंथारिया की खाता संख्या 65 में दर्ज आराजीयात में वादीया का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाकार तथा कथित परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावें। वादपत्र पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीया का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 1/3 हक व हिस्सा घोषित किया जाकर बंटवाडा करवायें जाने की प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित फरमाई जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें कि विवादित आराजीयात अपने नाम दर्ज होने के आधार पर वादीया को विवादित आराजीयात से बेदखल नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें एवं न ही आराजीयात का हस्तान्तरण ही करे न ही किसी अन्य से करावें।

इस पर वादीया के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 15.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 की और से उनके अधिवक्ता राकेश पुरी हाजिर आये एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है, जिसकी नकल वकील वादीया को दिलवाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी में निवेदन किया कि मूल पुरूष दौलतराम जी के 3 संताने उत्नन्न हुई जिनमें पुत्री वादीया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आशा एवं 2 पुत्र प्रतिवादी संख्या कमल रामसिंह हुए। दौलतराम जी की मृत्यु के बाद विरासती नामांन्तरकरण वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला गया एवं उसके बाद राजस्व रेकार्ड में ग्राम मीणों का कंथारिया पटवार हल्का जालमपुरा की आराजी संख्या 474, 577, 624, 651, 652, 834, 858/866 कुल किता 7 रकबा 3.19 हैक्टर में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का नाम दर्ज हुआ। वादीया ने दिनांक 12.03.2015 को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डील के अपना हक त्याग कर दिया एवं अपना हिस्सा दोनो भाईयों के नाम दर्ज करवा दिया। उसके पश्यात वादीया द्वारा अपना नाम पुनः दर्ज कराने हेतु घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। वादीया द्वारा दिनांक 12.03.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पंजीकृत हक परित्याग पत्र निष्पादित करा अपना हिस्सा छोड दिया है तभी से वादीया का वाद वर्णित आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं है। रिलीज डीड वादीया द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निष्पादित कराई है। इस कारण पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित कराये बिना वादीया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। राजस्व न्यायालय को इस तरह के प्रकरण सुनने का कोई अधिकार नहीं है। क्षेत्राधिकार से बाहर होने से वादपत्र मेंटेनेबल ही नहीं रहता है। वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। पंजीकृत दसतावेज को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित कराये बिना घोषणा का वाद पत्र डिक्री नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादीया ने अपने अधिवक्ता के मार्फत सूचना पत्र भिजवाया उक्त सूचना पत्र में केसीसी का लोन उठाने की बात कहकर हक परित्याग धोखें से निष्पादित कराना बताया जबकि उक्त वादपत्र में नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने की बात कहकर रिलीज डीड कराने की बात लिखी है। इस प्रकार वादीया स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। इस कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया का वादपत्र सव्यय निरस्त फरमायें जाने का आदेश प्रदान करावें। इस पर दिनांक 19.07.2019 को वादीया की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वादीया ने बताया कि दौलतराम की मृत्यु के बाद विरासतीय नामान्तरकरण वादीया एवं प्रतिवादी के नाम पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वीकृत हुआ व विवादित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी के सहखातेदारी में दर्ज होकर संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही थी। वादीया को धोखे में रखकर केसीसी बनवाने का झासा देकर वादीया नासमझ का दुरूपयोग कर गलत हक त्याग विलेख निष्पादित करा पंजीयन करा लिया। जिससे वादीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत घोषणा कराने की डिक्रीकारिणी है। वादीया को धोखें में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हक परित्याग विलेख निष्पादित करा पंजीकृत करवा लिया जो वादीया के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है व ऐसे तथाकथित दस्तावेज को किसी भी न्यायालय से निरस्त करवायें जाने की आवश्यकता नहीं हैं वादीया ने जो वादपत्र प्रस्तुत किया है। वह श्रीमान् के क्षेत्राधिकार का है। उक्त दस्तावेजात वादीया के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य दस्तावेज है व शून्य दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वादीया ने अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादीगण को पंजीकृत सूचनापत्र प्रेषित करवाया गया फिर भी प्रतिवादीगण ने उक्त नोटिस का कोई जवाब वादीया को नहीं दिया जिससे वादीया को श्रीमान् के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वादपत्र पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीया की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर उक्त वादपत्र में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है एवं प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का पेश किया जो कि रिकार्ड पर है। पत्रावली में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का रिकार्ड पर होने से सर्वप्रथम इस प्रार्थना पत्र को निर्णित किये जाने के आज्ञापक प्रावधान विधि अनुसार है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही को रिजर्व की जाकर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 में कार्यवाही की गई।

जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की नकल अधिवक्ता वादी को दिलवाई गई। दिनांक 24.09.2019 को अधिवक्ता उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी को उभयपक्ष सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर चिंतन, मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (वादपत्र के प्रतिवादी) ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मूल पुरूष दौलतराम की मृत्यु होने पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 857 दिनांक 22.09.2014 से आराजीयात जैरबहस वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज अभिलिखत की गई। इसके पश्चात् वादीया द्वारा दिनांक 12.03.2015 को रिलीज डीड(परित्याग विलेख) में राजीखुशी सही मन बुद्धि की दशा में बिना दबाव एवं बहकावट के अंकित कराया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष दिनांक 12. 03.2015 को उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर उप पंजीयक अधिकारी के समक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे उप पंजीयक अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष हक परित्याग विलेख का पढ़ सुन व समझकर निष्पादन कराना स्वीकार करने से उप पंजीयक अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पंजीकृत किया गया एवं पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 880 दिनांक 05.05.2015 से राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज अभिलिखित किये गये है जो कि आज दिनांक तक अनवरत रूप से दर्ज अभिलिखत हैं। ऐसी स्थिति में वादीया पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 को सक्षम न्यायालय से शून्य कराये बगैर राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इसके साथ ही वादीया द्वारा अधिवक्ता के मार्फत प्रेषित सूचनापत्र में बताया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा धोखे से केसीसी बनवाने के नाम पर हक परित्याग विलेख का निष्पादन कराया है जबकि वादीया द्वारा वादपत्र में पिता की मृत्यु के उपरांत नामान्तरकरण करवाये जाने हेतु उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होना बताया है ऐसी स्थिति में वादीया के कथनों में विरोधाभास होकर वादीया न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुई हैं। वादीया ने उक्त हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03. 2015 को को बोगस अंतरण बताते हुए शून्य व अवैध करार देते हुऐ अप्रभावशाली घोषित कराने हेतु निवेदन किया गया है। इसके साथ ही वादग्रस्त आराजीयात को पैतृक एवं पुश्तेनी बताते हुए उक्त पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 को अवैध अनुचित व अप्रभावशील घोषित कराने की दाद चाही है। उक्त पंजीकृत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक परित्याग विलेख अमान्य(वोईड) न होकर अमान्य करणीय (वोईडेबल) है क्यों कि यह पंजीकृत हक परित्याग विलेख वादीया स्वयं द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार पंजीयन शुल्क अन्य प्रकार के शुल्कों का भुगतान किया जाकर स्वयं निष्पादित कराया है जिससे यह पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 वादीया के लिये अमान्य करणीय(वोईडेबल) के श्रेणी में आता है। एवं ऐसे अमान्य करणीय (वोईडेबल) दस्तावेजात को सक्षम न्यायालय से अमान्य(वोईड) करार दिये बगैर राजस्व न्यायालय को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिये जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। एवं पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 को अमान्य(वोईड) करार किये जाने का अधिकार न्यायालय आप को न होकर दीवानी न्यायालय को है जिससे क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अपने तर्क की पुष्ठि में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने आरआरडी 1988 पेज 610 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया। उक्त न्यायिक दृष्टांत जिसमें राजस्व न्यायालय जब तक राहत नहीं दे सकता है तब तक ऐसे विक्रय पत्र जो प्रारम्भ से ही शून्य न होकर अमान्य करणीय(वोईडेबल) हो तो ऐसे वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को माना अतः आदेश 07 नियम 10 जा0दी0 के तहत दावे को अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापस लौटाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी पेज संख्या 750 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को उचित माना। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम दर्ज रिकार्ड होने के पश्चात् वादीया स्वयं द्वारा पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 से अपने हक अधिकारों का त्याग प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया हैं जो कि वह अमान्य करणीय(वोईडेबल) अंतरण है न कि प्रारम्भ से ही शून्य। ऐसी स्थिति में जब तक वादीया उक्त हक परित्याग विलेख दिनांक 12. 03.2015 को सक्षम दीवानी न्यायालय से अवैध घोषित नहीं कराते तक तक राजस्व न्यायालय इन्हे घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं कर सकता । अतः प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें। इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी(वादीया) ने अपनी बहस में बताया की वादीया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होकर जन्म से ही उनका पैतृक सम्पत्ति में हक हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने जो बिन्दु उठाये है वह सारे बिन्दु जवाबदावें के है जो कि वाद विचारण में ही तय किये जा सकते है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीया) ने अपने तर्क की पुष्ठि में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003 (1) पेज 513 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार बाबत् तनकी बनी जिसमें विक्रय पत्र के निरस्तीकरण की आवश्यकता नहीं बताते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा राहत देने को उचित बताया। इसी प्रकार आरआरटी 2003(1) पेज 633 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश 07 नियम 11 के अंतर्गत वाद खारीज करने हेतु आवेदन खारीज किया प्रतिवादी सारी आपत्तियां जवाब दावें में उठा सकता है उसके बाद विधिक तनकी पर निर्णय किया जा सकता हैं। इस प्रकार वाद के प्रारंभिक स्तर पर वाद के खारीज किये जाने को न्यायोचित नहीं माना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने उक्त न्यायिक विनिश्चय का खण्डन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 का हवाला देते हुए वाद किसी स्टेज पर खारीज किया जा सकता है के बारे में जा0दी0 में स्पष्ट है कि वाद दावे के किसी भी स्टेज पर खारीज किया जा सकता है तथा एआईआर 2002 कलकत्ता 247 (253) डबल बैंच द्वारा यह प्रतिपादित किया कि चाहे जवाबदावा प्रस्तुत हुआ हो अथवा नहीं या तनकी बनी अथवा नहीं दावा किसी भी स्टेज पर आदेश 07 नियम 11 के तहत खारीज किया जा सकता है। इसमें मात्र न्यायालय को यह ध्यान रखना है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अथवा वादी को वाद कारण प्राप्त नहीं है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का यह भी कथन है कि प्रतिवादी को आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं हैं। स्वप्रेरणा से न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होता वहां प्रस्तुत वाद को खारीज कर सकते हे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने स्वयं वादीया द्वारा जो दाद चाही गई है उसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2के पक्ष में किये गये हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 को अवैध अनुचित व प्रभावशील घोषित कराने की दाद मानते हुए वादीया को खातेदारी, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की दाद चाही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से वादीया पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 को अवैध घोषित नहीं कराते उन्हे दाद हासिल नहीं हो सकती ।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर चिंतन मनन करने पर पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 12.03.2015 के अंतरण को वोईड न होकर अमान्य करणीय (वोईडेबल) माना है तथा वोईडेबल अंतरणों का निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय का ही अनन्य अधिकार क्षेत्र है, तथा आदेश 07 नियम 11 में किसी भी स्टेज पर सुनवाई की अधिकारिता न होने पर दावे को खारीज किया जा सकना पाया है। इस वादपत्र की सुनवाई का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है एवं **Bard by Law** है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 15.07.2019 को स्वीकार किया जाता है। जिसके फलस्वरूप यह वादपत्र इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता है, जिससे यह वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय से चाराजोही प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **01.10.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

श्रीमती आशा पिता दौलतराम पत्नि रामगोपाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी कंथारिया तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकमा बरखेडा उदा तहसील श्यामगढ जिला मंदसौर (म0प्र0)

वादीया

बनाम

1. कमल पिता दौलतराम जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मीणों का कंथारिया तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. रामसिंह पिता दौलतराम जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मीणों का कंथारिया तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. देउ पत्नि भगवानलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. श्री सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्तकारी अधिनियम ::–

प्रकरण संख्या :– 235/2018
(RCMS 2018/00252)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू बहाजिरी **श्री छोगालाल जाट** अधिवक्ता वादी **श्री राकेश पुरी** अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वादपत्र इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादीया सक्षम न्यायालय से चाराजोही प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 01.10.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिलान स्टा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई			मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ